झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक-16/02/2018

संख्या-5/आरोप-1-141/2014 का०-151 (HRMS)/ श्री राम नारायण राम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-563/03) को देवघर के चर्चित भूमि घोटाले में सी0बी0आई0 के विशेष कोर्ट में दिनांक 15.01.2018 को सरेंडर करने के उपरांत उन्हें कोर्ट के आदेश से न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है।

Sr No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	RAM NARAYAN RAM (BHR/BAS/2063)	श्री राम नारायण राम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-563/03) को निलंबित किया जाता है|	15/01/2018

2. अतः श्री राम नारायण राम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-563/03) को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत् न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 15.01.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद श्री राम कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में योगदान देगें।

4. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सूर्य प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2502

ज्ञापांक-5/आरोप-1-141/2014 का०-151 (HRMS)/राँची   दिनांक-16/02/2018

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, देवघर/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा-6 /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5/श्री राम नारायण राम, झा0प्र0से0, द्वारा-अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/आरोप-1-141/2014 का०-151 (HRMS)/राँची   दिनांक-16/02/2018

प्रतिलिपि- श्री ओम प्रकाश साह, विभागीय उप सचिव, प्रभारी-मुख्यालय स्थापना/श्री अजय कुमार झा, विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि निलंबन अवधि में श्री राम को जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Prepared By:- AMIT KUMAR SINGH - (110063543278)